

# फर्द अहकाम

गणेशी

नहनूराम उर्फ नेतराम बनाम

प्रार्थना पत्र 213/2024

सहायक कलक्टर, बस्सी

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

क्रमांक  
या कार्यवाही  
दिनांक आज्ञा  
14.02.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 के सम्यक तामील मानी जाकर मूलवाद में अप्रार्थी सं० 5 विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जवाब न देकर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 282/70 रकबा 1.0116 है० स्थित ग्राम खिजूरिया ब्राह्मणान पटवार हल्का खिजूरिया ब्राह्मणान भू०अ०नि० सांभरिया तह० बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष मूलवाद 238/2024 नहनूराम उर्फ नेतराम बनाम गणेशी के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर  
बस्सी, जिला जयपुर